रमी जमार का मसला

सौलहवां फ़िक्ही सेमिनार (आज़मगढ) दिनांक 10-13 रबीउल अव्वल 1428 हिजरी, 30 मार्च-2 अप्रैल 2007 ई॰ को आयोजित हुआ।

1- हज इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है जो जीवन में एक ही बार फ़र्ज़ है इसलिए हाजियों को चाहिए कि हज में अफ़ज़ल और मसनून (सुन्नत के अनुसार) तरीक़े पर अमल करें और अधिक से अधिक सावधानी बरतें। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि तीनों दिनों (10,11,12 ज़िल हिज्जा) को रमी के समय में बड़ी व्यापकता है और हर दिन अगले दिन के सुबह सादिक तक रमी करने की गुंजाइश है। इस लिए यदि रमी के लिए अपने हालात के अनुसार उचित समय का चयन किया जाए तो पेरशानी न हो और न ही दुर्घटना हो क्योंकि अधिकांश दृर्घटनाएं जल्दबाज़ी और मसला न जानने से होती हैं।

2- 10 जिलहिज्जा की रमी सूरज निकलने से पहले और सुबह सादिक के बाद आम लोगों के लिए मकरूह है अलबत्ता बीमार, मजबूर महिला और वृद्ध लोगों के लिए इस समय भी रमी करना बिना किसी कराहत के जाइज़ है।

3- 10 जिलहिज्जा की आधी रात से रमी करना किसी के लिए भी वैध नहीं है क्योंकि इस समय रमी का वक़्त ही आरंभ नहीं होता।

4- 11,12 जिलहिज्जा का समय सूरज ढलने के बाद आरंभ होता है और अगली तारीख़ की सुबह सवेरे से पहले तक रहता है, इन्ही औक़ात में रमी करना चाहिए और हज फ़र्ज़ अदा करनेवालों को विशेष रूप से इसका एहतमाम करना चाहिए, अलबत्ता सख़्त मजबूरी और कठिनाई की वजह से पर यदि किसी व्यक्ति ने सूरज ढलने से पहले रमी कर लिया तो इमाम अबू हनीफा के कथन पर अमल करते हुए इसपर दम (जुर्माने के तौर पर की जाने वाली क़ुरबानी) अनिवार्य नहीं होगी।

5- 11,12 जिलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद रमी करना भीड़ की मौजूदगी को देखते हुए मकरूह नहीं है।

6- 12 जिलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद रूके रहने से 13 जिलहिज्जा की रमी अनिवार्य नहीं होगी, हां यदि मिना में 13 जिलहिज्जा की सुबह सादिक़ उदय हो जाए तो फिर 13 की रमी भी अनिवार्य हो जाएगी।

मिना में ठहरने का हुक्म

1- मिना के दिनों हाजियों के लिए मिना में ही रात बिताना मसनून है इसलिए हाजियों को चाहिए कि यह रातें मिना में बिताएं और बिला ज़रूरत राहत व आराम के लिए मिना से बाहर ठहर कर एक अहम सुन्नत को छोड़ने वाले न बनें।

2- अलबत्ता यदि जगह की तंगी और सरकार के प्रबन्ध के कारण मिना के बाहर ठहरना पड़े तो इसमें कोई आपत्ति नहीं।

☆☆☆